बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

निबंधित

सं0 – 05/स्था0 (आरोप)–08/2016 दिनांक–

श्री संजय कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, अररिया (सम्प्रति जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ) को अपने पूर्व पदस्थापन के स्थान जिला परिवहन कार्यालय, अररिया में दिनांक 11.08.20111 के पूर्वा0 में योगदान देकर तथा दिनांक 12.08.2011 से 14.08.2011 तक का अवकाश का आवेदन देकर अब तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1) (क) के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 में निहित प्रावधानों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा।
3. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है।
4. विभागीय कार्यवाही चलाने से संबंधित आदेश एवं प्रपत्र "क" में आरोप गठित कर अलग से निर्गत किया जायगा।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

निबंधित E-Mail

ज्ञापांक– 05/स्था0 (आरोप)–08/2016 4643 दिनांक– 29/7/16

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, अररिया/पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, अररिया/पूर्णियाँ/ संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ/जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया/ पूर्णियाँ/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/श्री संजय कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।